

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- सा० का०नि०(अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा०का०नि० 704(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के खंड (vi), के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है ।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 704 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 33/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, सा०का०नि० 1281 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।